रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 17, 2008/आषाढ़ 26, 1930 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 111
No. 114] DELHI, THURSDAY, JULY 17, 2008/ASADHA 26, 1930 [N.C.T.D. No. 111

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (कर एवं स्थापना) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 जुलाई, 2008

सं. फा. 12(3)/वित्त(कर एवं स्था.)/2008-2009/जेएसएफ/338.—दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर अधिनियम, 1996 (1997 का दिल्ली अधिनियम 8) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फिल्मों के समस्त सिनेमाटोग्राफिक प्रदर्शन के संबंध में प्रवेश हेतु भुगतान पर मनोरंजन कर की दर तुरन्त प्रभाव से बीस प्रतिशत होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
अजय कुमार गर्ग, संयुक्त सचिव

FINANCE (TAXES AND ESTABLISHMENT) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 17th July, 2008

No. F. 12(3)/Fin. (T. & E.)/2008-2009/JS Fin./338.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Delhi Entertainments and Betting Tax Act, 1996 (Delhi Act 8 of 1997), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby notifies that the rate of entertainment tax on payment for admission in respect of all cinematographic exhibiton of films in the National Capital Territory of Delhi shall be twenty per cent with immediate effect.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,
AJAY KUMAR GARG, Jt. Secy.

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 जुलाई, 2008

सं. फा. 41/आ.स.अ./वि.डी.एम./स.क.वि./2005-06/पी.-III/15887-898.—निम्नलिखित योजनाओं की नियमावली में दिल्ली के उपराज्यपाल सहर्ष निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

(1) दिल्ली वृद्धावस्था आर्थिक सहायता नियम, 1975.—दिल्ली राजपत्र में समय-समय पर संशोधित और प्रकाशित अधिसूचना सं 54(ए-16)74 डीएसडब्ल्यू/प्लानिंग दिनांक 2-11-1975 :—

नियम 5 में अतिरिक्त नियम का समावेश - नियम 5(क) के रूप में पढ़ा जाये.—निर्धारित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय विधायक/संसद

सदस्य के अलावा दिल्ली सरकार अथवा केन्द्र सरकार के राजपत्रित अधिकारी के द्वारा भी सिफारिश किये जाने पर संबद्ध जिला समाज कल्याण अधिकारी के यहां जमा किया जा सकता है ।

(2) विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक एवं अनाथ कन्या के विवाह हेतु.—दिल्ली राजपत्र में समय-समय पर संशोधित और प्रकाशित अधिसूचना सं. 1(4)/एफएएस/ डब्ल्यूडी एम/डीएसडब्ल्यू/2005-06/25008-18 दिनांक 21-09-2006 :—

नियम 6(ii) का संशोधन.—निर्धारित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय विधायक/ संसद सदस्य के अलावा दिल्ली सरकार अथवा केन्द्र सरकार के राजपत्रित अधिकारी के द्वारा भी सिफारिश किये जाने पर संबद्ध जिला समाज कल्याण अधिकारी के यहां जमा किया जा सकता है ।

(3) राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना.—सं फा.-8(1)/ एफएएस/एनएसएपी/96

नियम 4 में अतिरिक्त नियम का समावेश - नियम 4(क) के रूप में पढ़ा जाये .—निर्धारित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय विधायक/संसद सदस्य के अलावा दिल्ली सरकार अथवा केन्द्र सरकार के राजपत्रित अधिकारी के द्वारा भी सिफारिश किये जाने पर संबद्ध जिला समाज कल्याण अधिकारी के यहां जमा किया जा सकता है ।

उपरोक्त नियमों का संशोधन अधिसूचना के जारी होने की तिथि से मान्य होगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
देवश्री मुखर्जी, सचिव

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 17th July, 2008

No. F. 41/FAS/WDM/DSW/2005-06/Pt. III/15887—898.—The Lt. Governor of Delhi is pleased to make the following addition/amendment in the following schemes :—

1. Delhi Old Age Assistance Rule, 1975.—As published in the Delhi Gazette *vide* Notification No. 54(A-16)/ 74-DSW/Plg. dated 2-11-1975.

Addition to Rule 5.—May be read as Rule 5(a). The prescribed application form may be submitted to the concerned District Social Welfare Officer with the recommendation of the area MLA/MP or a Gazetted Officer of the Central/Delhi Govt.

2. Financial Assistance Scheme for Widows for performing marriage of their Daughter or Marriage of orphan girls.—As published in the Delhi Gazette *vide* Notification No. F. 1(4)/FAS/WDM/DSW/2005-06/25008-18, dated 21-09-2006 :—

Amendment of Rule 6(2).—The prescribed application form may be submitted to the concerned District Social Welfare Officer with the recommendation of the area MLA/MP or a Gazetted Officer of the Central/Delhi Govt.

3. National Family Benefit Scheme.—(Central Scheme adopted by the State Govt.) F. 8(1)/FAS/DSW/ NSAP/96.

Addition to Rule 4.—May be read as rule 4(a)

The prescribed application form may be submitted to the concerned District Social Welfare Officer with the recommendation of the area MLA/MP or a Gazetted Officer of the Central/Delhi Govt.

The above amendment shall be effective from the date of notification.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the NCT of Delhi,
DEBASHREE MUKHERJEE, Secy.

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 17 जुलाई, 2008

सं. फा. 196/ईडीसीआईएल/2006/डीटीटीई/पार्ट-III/ 1048.—आई.आई.आई.टी. (इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) दिल्ली अधिनियम, 2007 (2008 का दिल्ली अधिनियम 5) की धारा 22 के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कुलाधिपति का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् एतद्द्वारा आई.आई.आई.टी. (इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान), दिल्ली की संविधियाँ निम्न प्रकार से बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ .—(1) ये संविधियाँ आई. आई.आई.टी.(इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान), दिल्ली कही जायेंगी ।

(2) ये दिनांक 10 जुलाई, 2008 से लागू होंगी ।

2. परिभाषाएँ .—(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इन संविधियों में,—

(क) "अधिनियम" का अर्थ है आई.आई.आई.टी. (इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) दिल्ली अधिनियम, 2007 (2008 का दिल्ली अधिनियम 5);

(ख) "खंड" का अर्थ है संविधियों के खंड जिनमें वह अभिव्यक्ति आती है;

(ग) "वित्त समिति" का अर्थ है संस्था की वित्त समिति;

(घ) "धारा" का अर्थ है अधिनियम की धारा;

(ङ) "अध्यापक एवं शैक्षणिक स्टाफ" का अर्थ है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर तथा संस्थान का अन्य शैक्षणिक स्टाफ;

(2) इन संविधियों में प्रयुक्त तथा परिभाषित नहीं किए गए शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो उनके लिए अधिनियम में प्रदान किया गया है ।

3. कुलाधिपति तथा उनके प्रकार्य.—कुलाधिपति अपने पद के आधार पर महापरिषद् का अध्यक्ष होगा ।

4. महापरिषद्.—(1) प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति से छह माह के भीतर परिषद् द्वारा निश्चित तिथि को संस्थान के लेखा परीक्षित लेखाओं पर तथा संस्थान के पिछले वर्ष के कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने तथा स्वीकार करने के लिए महापरिषद् की बैठक होगी ।

(2) कुलाधिपति जब उचित समझे महापरिषद् की बैठक हो सकती है जबकि शासी मंडल का अध्यक्ष विद्यमान सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों (अंश का अगली उच्च संख्या तक पूरा किया जाएगा) या अधिक सदस्यों के लिखित अनुरोध पर महापरिषद् की बैठक बुलाएगा । इसके अतिरिक्त, महापरिषद् की बैठक तब भी होगी जब अध्यक्ष किसी तत्काल कार्य के निष्पादन की सिफारिश करता है ।

(3) महापरिषद् की प्रत्येक बैठक के लिए सदस्यों को कम से कम स्पष्ट चौदह दिनों का नोटिस दिया जायेगा जिसमें डाक में नोटिस भेजने तथा बैठक का दिन शामिल नहीं होगा । तात्कालिकता की स्थिति में अध्यक्ष कुलाधिपति की अनुमति से कमतर नोटिस पर महापरिषद् की बैठक बुला सकता है ।

(4) महापरिषद् की किसी बैठक का कोरम विद्यमान सदस्यों का एक तिहाई होगा जिसमें कुलाधिपति शामिल नहीं है किसी अंश को अगली उच्च संख्या तक पूरा किया जायेगा ।

(5) यदि बैठक शुरू होने के अधिसूचित समय के तीस मिनट के भीतर जब कोरम उपस्थित नहीं होता है तो सदस्यों द्वारा बुलाई गई बैठक भंग हो जाएगी ।

(6) महापरिषद् के निर्णय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमत से किए जायेंगे ।

(7) महापरिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलाधिपति करेंगे तथा उसकी अनुपस्थिति में शासी मंडल के अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जायेगी ।

(8) महापरिषद् के ऐसे प्रत्येक सदस्यों को जिन्हें मतदान का अधिकार है उनका केवल एक मत होगा तथा यदि महापरिषद् द्वारा निर्णय किए जाने वाले किसी प्रश्न पर मतों की समानता रहती है । बैठक का अध्यक्ष सदस्य के रूप में अपने मताधिकार के अलावा प्रश्न के निर्णय के लिये निर्णायक मत डाल सकता है ।

5. शासी मंडल .—(1) शासी मंडल के पास संस्थान के प्रबन्धन एवं प्रशासन के सम्पूर्ण अधिकार होंगे ।

(2) शासी मंडल संस्थान की कार्य प्रद्धति पर नीतियाँ तथा इन नीतियों के क्रियान्वयन की प्रणाली तैयार करेगा ।

(3) अधिनियम के उपबन्धों संविधियों तथा अध्यादेशों के अनुसार शासी मंडल के पास अधिनियम तथा संविधियों के द्वारा तथा उसमें निहित अन्य शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :—

(क) नियुक्तियाँ करना अथवा इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों तथा यथावश्यक शैक्षणिक स्टाफ के साथ संविदा करना;

(ख) किसी भी शैक्षणिक स्टाफ की अस्थायी रिक्तियों पर नियुक्ति करना;

(ग) शैक्षणिक स्टाफ की अस्थायी रिक्तियों पर नियुक्ति की पद्धति को विनिर्दिष्ट करना;

(घ) विजिटिंग प्रोफेसरों की व्यवस्था करना तथा ऐसी नियुक्ति की शर्तें निर्धारित करना;

(ङ) वित्त समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखने के पश्चात् प्रशासनिक लिपिकीय तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्ति की पद्धति विनिर्दिष्ट करना;

(च) संविधियों तथा अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों के बीच अनुशासन बनाए रखना तथा उसे विनियमित करना;

(छ) अपनी कोई भी शक्ति निदेशक को प्रत्यायोजित करना तथा निदेशक की सिफारिशों पर पंजीयकों, वित्त नियंत्रक अथवा किसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी अथवा संस्थान के प्राधिकारी या इसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को कोई शक्ति प्रत्यायोजित करना ।

(3) शासी मंडल संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिनियम, संविधियों, अध्यादेशों तथा विनियमों में अन्यथा नहीं उपबंधित संस्थान की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(4) अध्यक्ष, शासी मंडल, कुलाधिपति के अनुमोदन से महापरिषद् की बैठक आयोजित करेगा या करवाएगा ।

(5) शासी मण्डल की बैठक

(क) शासी मण्डल सामान्यतः प्रत्येक तीन माह में एक बार बैठक करेगा, उपबंध है कि अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष की अनुमति से निदेशक जब भी उचित समझे या शासी मण्डल के विद्यमान सदस्यों के लिखित अनुरोध पर जिनकी संख्या एक तिहाई से कम न हो, बैठक बुला सकता है (अंश की उच्च संख्या तक पूरा किया जाएगा) शासी मण्डल को प्रत्येक बैठक के लिए सात दिनों से कम की सूचना नहीं दी जाएगी । अत्यावश्यक स्थिति में अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष की अनुमति से निदेशक अल्पकालिक सूचना में बैठक बुला सकता है । उपबंध है कि शासी मण्डल की दो लगातार बैठकों के बीच छह माह से अधिक का अन्तराल नहीं होगा ।

(ख) शासी मण्डल को वर्तमान संख्या बल का एक तिहाई अथवा पांच सदस्य इनमें जो भी अधिक हो शासी मण्डल की बैठक का कोरम बनाएंगे, अंश की उच्च संख्या तक पूरा किया जाएगा ।

(ग) शासी मण्डल का निर्णय उपस्थिति सदस्यों के साधारण बहुमत तथा मतदान द्वारा होगा ।

(घ) शासी मण्डल का प्रत्येक सदस्य जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है उनका एक वोट होगा तथा यदि शासी मण्डल द्वारा निर्धारित किए जाने के लिए किसी भी प्रश्न पर मतों की संख्या समान हो तो बैठक का अध्यक्ष अपने मत के अतिरिक्त मामले का निर्धारण करने के लिए एक निर्णायक मत का प्रयोग करेगा ।

(ङ) शासी मण्डल की प्रत्येक बैठक को अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की जाएगी तथा उसकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित शासी मण्डल के सदस्यों में से किसी एक सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी ।

(च) कोई भी संकल्प इसके समस्त सदस्यों के बीच परिचालन द्वारा स्वीकार किया जा सकता है तथा सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकार किया गया तथा परिचालित संकल्प जिन्होंने ऐसे संकल्पों पर अपना अनुमोदन दिया है या नहीं दिया है, वह प्रभावी होगा तथा उसी प्रकार बाध्यकारी होगा जैसे कि वह संकल्प शासी मण्डल की बैठक में पारित किया गया हो ।

6. निदेशक.—(1) निदेशक संस्थान का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा ।

(2) निदेशक उस तारीख से जब से वह अपने कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण करता है तब से पांच वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहेगा तथा पुनः नियुक्ति हेतु पात्र होगा जिसकी अवधि एक और अवधि से अधिक नहीं होगी ।

उपबंध है कि निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अपने कार्यकाल के दौरान 65 वर्षों की आयु पूरी हो जाने पर पद पर नहीं रहेगा ।

(3) निदेशक की परिलब्धियां और सेवा भी अन्य शर्तें शासी निकाय द्वारा यथानिर्णित होगी ।

(4) यदि, निदेशक का पद मृत्यु, त्यागपत्र देने या अन्यथा के कारण रिक्त हो जाता है, या यदि निदेशक अपनी रोगी स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य कारण के आधार अपने कार्य करने में असमर्थ है तो ज्येष्ठ वरिष्ठ प्राध्यापक निदेशक के कार्यों का निष्पादन करेंगे ।

7. निदेशक की शक्तियां और कार्य.—(1) निदेशक, किसी अन्य प्राधिकरण या संस्थान के किसी अन्य निकाय की किसी बैठक में उपस्थित रहेंगे परन्तु तब तक मतदान करने के लिये पात्र नहीं होंगे जब तक वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य नहीं है ।

(2) यह देखना निदेशक का दायित्व होगा कि अधिनियम, संविधियां अध्यादेशों और विनियमों का विधिवत पालन किया जाता है और इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये उसके पास सभी आवश्यक शक्तियां होंगी ।

(3) निदेशक के पास संस्थान में उपयुक्त अनुशासन बनाए रखने के लिये सभी आवश्यक शक्तियां होंगी और वह ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को ऐसी किन्हीं शक्तियों को सौंप सकते हैं जैसा वह उचित समझते हों ।

(4) निदेशक, संस्थान के किसी अधिकारी को छुट्टी देने के लिये सशक्त होंगे और उसकी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे अधिकारी के कर्तव्यों के निष्पादन के लिये आवश्यक प्रबन्ध करेंगे ।

(5) निदेशक नियमानुसार संस्थान के किसी कर्मचारी को अनुपस्थिति के लिये छुट्टी प्रदान करेंगे, तथा यदि वह ऐसा निर्णय करते हैं तो वह संस्थान के किसी अन्य अधिकारी को ऐसी शक्ति सौंप सकेंगे ।

(6) निदेशक शासी मण्डल, सीनेट और वित्त समिति की बैठकें आयोजित करेंगे या आयोजित करवा सकेंगे ।

(7) यह देखना निदेशक का उत्तरदायित्व है कि सभी धनराशि उस प्रयोजन के लिये खर्च की जाएगी जिसके लिये प्रदान की गई है या आबंटित की गई है ।

(8) वह अभिलेख तथा संस्थान की ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जैसा बोर्ड अपने प्रभार/कार्य के प्रति वचनबद्ध है ।

(9) बजट के भीतर सारा व्यय निदेशक या स्टाफ के उस सदस्य द्वारा अनुमोदित तथा स्वीकृत होगा जिसको वह शासी मण्डल के अनुमोदन से यह शक्ति सौंप सकते हैं यदि किन्तु ऐसा व्यय अध्यादेश द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होता है यदि कुछ है तो निदेशक को वित्त समिति के अनुमोदन से पुनर्विनियोग करने के लिये भी शक्ति होगी ।

शर्त यह है कि वेतन और भत्ते शीर्षक के अन्तर्गत प्रावधान बढ़ाने के लिये पुनर्विनियोग शासी मण्डल का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा ।

(10) निदेशक, संस्थान के लेखे, बजट अनुमान और अन्य प्रस्ताव मण्डल को इसके विचारार्थ भेज सकता है ।

(11) निदेशक, संस्थान और मण्डल की ओर से सारा सरकारी पत्राचार करेगा ।

(12) निदेशक, अध्यक्ष के अनुमोदन से मंडल की बैठक बुला सकता है ।

(13) निदेशक, अध्यक्ष द्वारा पारित संकल्प के कार्यान्वयन के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(14) निदेशक, संस्थान के स्टाफ सदस्यों को कार्य सौंपने इन कार्यों को प्रारम्भ करने की व्यवस्था करने और स्टाफ सदस्यों पर अनुशासनिक नियंत्रण सहित समूचा नियंत्रण कर सकता है ।

(15) निदेशक, समितियों या उपसमितियों, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, ऐसी गतिविधियों के संचालन के लिये स्टाफ के सदस्यों की नियुक्ति जैसा वह उपयुक्त समझते हों तथा/अथवा अन्यथा ऐसी समितियों की नियुक्ति के लिये संस्थान के किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकते हैं ।

(16) निदेशक, संस्थान के रुचिप्रद क्षेत्रों में राष्ट्रीय सम्मेलनों और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने या भाग लेने के लिये स्टाफ के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है ।

(17) निदेशक, मण्डल का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत संस्थान की ओर से निर्मित सम्पति के सारी संविदाएं विलेखों तथा आश्वासनों को निष्पादित कर सकता है ।

(18) निदेशक, बोर्ड द्वारा सौंपने की शर्तों में संस्थान के प्रयोजन के लिये चैक, नोट या अन्य पराक्रम्य प्रलेखों की रूप रेखा बनाना, स्वीकार करना और भेज सकता है ।

(19) निदेशक, मण्डल के पूर्व अनुमोदन से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में से किसी को अपनी कुछ शक्तियां पुनः सौंप सकता है ।

(20) निदेशक, सांविधियों तथा अध्यादेश द्वारा उन्हें यथा सौंपी गयी ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है ।

8. संकायाध्यक्ष.—(1) अकादमिक, अनुसंधान और परामर्शदात्री से निपटने के लिये संकायाध्यक्ष होंगे तथा ऐसे अन्य पक्षों पर विचार करना जैसे शासी मण्डल इसे आवश्यक समझते हों ।

(2) प्रत्येक संकायाध्यक्ष संस्थान के प्राध्यापकों के बीच में से निदेशक के परामर्श पर शासी मण्डल द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त होगा तथा वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा/होगी ।

शर्त यह है कि पैंसठ वर्ष की आयु होने पर कोई संकायाध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे ।

आगे यह भी शर्त है कि यदि किसी समय विभाग में कोई प्राध्यापक नहीं है तो निदेशक या इस संबंध में निदेशक द्वारा प्राधिकृत कोई संकायाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(3) जब संकायाध्यक्ष का पद खाली है या जहां संकायाध्यक्ष रूग्ण स्वास्थ्य के कारण अपने कार्यालय से अनुपस्थित है, अपने पद के कार्यों के निष्पादन में असमर्थ रहने का कोई अन्य कारण है तो उस शाखा के ज्येष्ठ प्राध्यापक द्वारा पद के कार्य निष्पादित किए जाएंगे ।

(4) संकायाध्यक्ष उसे सौंपे गए प्रकार्यात्मक कार्य समूह का विभागाध्यक्ष होगा और वह सौंपे गए कार्यों के संचालन तथा मानकों के रखरखाव के प्रति उत्तरदायी होगा ।

(5) संकायाध्यक्ष शासी मण्डल द्वारा यथा निर्धारित ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा ।

9. कुल सचिव.—(1) शासी मण्डल कुल सचिव की नियुक्ति के लिये एक प्रवर समिति का गठन करेगा ।

(2) खण्ड (1) के अन्तर्गत गठित प्रवर समिति की सिफारिशों के आधार पर शासी मण्डल द्वारा नियुक्त होगा तथा वह संस्थान का/पूर्णकालिक वेतन भोगी होगा/होगी ।

(3) कुल सचिव की परिलब्धियां और अन्य शर्त अध्यादेश द्वारा यथा निर्धारित होंगी ।

शर्त यह है कि कोई कुल सचिव पैंसठ वर्ष की आयु होने पर सेवानिवृत्त होगा ।

(4) शासी मण्डल द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष रूप से पदनामित कोई कुल सचिव अध्यापकों को छोड़कर कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिये शक्ति होगी जैसा इस सम्बन्ध में शासी मण्डल के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यथा विनिर्दिष्ट करेगा ।

(5) खण्ड (4) के अनुसरण में कुल सचिव द्वारा किए गए किसी आदेश के विरुद्ध निदेशक को अपील की जाएगी ।

(6) जिन मामलों में कोई जांच उजागर करती है कि कुल सचिव की शक्तियों से परे कोई दण्ड मांगा गया है तो कुल सचिव जांच के उपरांत यथोचित ऐसी कार्यवाही के लिये अपनी सिफारिशों के साथ निदेशक को एक रिपोर्ट देगा ।

शर्त यह है कि किसी कर्मचारी पर कोई दंड लगाने के लिये निदेशक की किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील शासी मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी ।

(7) शासी मण्डल निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निम्नलिखित में से एक या अधिक पदों पर कार्य करने के लिये किसी कुल सचिव को पदनामित कर सकते हैं, अर्थात् :—

(i) महापरिषद् का सचिव;

(ii) शासी मण्डल का सचिव;

(iii) सीनेट का सचिव ।

(8) इस प्रकार पदनामित कोई कुल सचिव सम्बद्ध प्राधिकरण के सन्दर्भ में ,—

(क) अपने कार्य के प्रति यथावचनबद्ध शासी मण्डल संस्थान के अभिलेख, साझी मोहर तथा ऐसी अन्य सम्पत्तियों का अभिरक्षक होगा;

(ख) उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकरण और समितियों को नोटिस जारी करना और उनकी बैठक बुलाना;

(ग) उसके द्वारा नियुक्त उस प्राधिकरण तथा समितियों के कार्यवृत्त संभालना;

(घ) सरकारी कार्यवाही तथा पत्राचार संचालित करना; तथा

(ङ) संस्थान के प्राधिकरणों की बैठकों के एजेण्डे के जारी होते ही और ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त की प्रत्येक प्रति कुलाधिपति को पूर्ति करना।

(9) संस्थान द्वारा या के विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व करने के लिये शासी मण्डल द्वारा कोई कुल सचिव पदनामित होगा, दलीलों की पड़ताल करना और इस प्रयोजन के लिये अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना ।

(10) कुल सचिव सांविधियों या अध्यादेशों या विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट या समय-समय पर शासी मण्डल द्वारा यथा अपेक्षित ऐसे अन्य कार्यों को करेंगे ।

10. संस्थान की निधियाँ.—(1) संस्थान की अपनी निधि होगी जिसमें,—

(i) सरकार द्वारा उपलब्ध सारी धनराशि;

(ii) संस्थान द्वारा प्राप्त सारा शुल्क एवं अन्य प्रभार;

(iii) संस्थान द्वारा अनुदान, ऋण, उपहार, दान, खैरात, उत्तरदान या धनराशि अन्तरण द्वारा प्राप्त सारी धनराशि;

(iv) निगमों के साथ उपबन्धों के अनुसार निगमों द्वारा समर्थित विद्यालयों से संस्थान द्वारा या अन्यथा से प्राप्त सारी धनराशि;

(v) सरकार से निधियों के माध्यम से सृजित ग्रंथ संग्रह, संस्थान के पास उपलब्ध निधियों का सरप्लस, समर्थित शोध परियोजनाओं परामर्शदात्री कार्यों की बचत, संस्थान द्वारा उत्पन्न की गई बौद्धिक सम्पत्ति के व्यवसायीकरण से प्राप्त निधियां, अनुदान, दान, उपहार इत्यादि;

(vi) शोध प्रयोजकों या सरकार को सौंपी गई परामर्शदात्री परियोजनाओं से प्राप्त सारी धनराशि;

(vii) अन्य संगठनों को संकाय सदस्यों या कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध करायी सेवाओं के रूप से उनसे तथा शासी मण्डल द्वारा विकसित पद्धति के अनुसार प्राप्त सारी धनराशि;

(viii) किसी अन्य पद्धति में संस्थान द्वारा या किसी अन्य स्त्रोत्र से प्राप्त सारी धनराशि;

(ix) संस्थान की पूंजी निवेश करने पर प्राप्त ब्याज, किराया लाभांश या कोई अन्य आय ।

(2) संस्थान के हित में समय-समय पर परिषद् जैसे कालोचित समझती है उसके अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(5) के उपबन्धों के अनुसार निधि में जमा सारी धनराशि निवेश की जाएगी ।

(3) संस्थान की निधि और सम्पत्ति जैसे की प्राप्त की गई है, सरकार द्वारा यथा निर्धारित संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये ही केवल प्रयुक्त की जाएगी ।

11. लेखा और लेखा परीक्षा.—(1) निदेशक संस्थान की आय प्राप्तियां और भुगतान आय और व्यय का, संस्थान की सम्पत्ति, परिसम्पत्तियों और देयताओं का सही-सही लेखा रखेगा या रखवाएगा वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष के अन्त तक बनाया जाएगा ।

(2) संस्थान के लेखा का लेखापरीक्षा किसी उस लेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी, जो सनदी लेखाकार या सनदी लेखाकारों की किसी फर्म द्वारा की जाएगी । जैसा सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 में परिभाषित है तथा शासी मण्डल द्वारा नियुक्त होगा ।

(3) सनदी लेखाकार द्वारा परीक्षित लेखा का विवरण नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक को उनके विचारार्थ भेजा जाएगा तथा नियंत्रक एवं भारत के महालेखा परीक्षक के विचारों सहित लेखा परीक्षित लेखा सरकार के माध्यम से दिल्ली विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा ।

12. अन्य अधिकारीगण.—(1) शासी मण्डल अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिये एक चयन समिति गठित करेगा ।

13. वित्त नियंत्रक.—(1) वित्त नियंत्रक खण्ड 10(1) के अन्तर्गत गठित चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर शासी मण्डल द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह संस्थान का एक पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा/होगी और निदेशक के नियंत्रण में कार्य करेगा/करेगी ।

(2) वित्त नियंत्रक की परिलब्धियां तथा अन्य सेवा शर्तें शासी मण्डल द्वारा निर्धारित होंगी ।

शर्त यह है कि वित्त नियंत्रक पैंसठ वर्ष की आयु होने पर सेवानिवृत्त होगा ।

(3) यदि, लेखा नियंत्रक का पद खाली है अथवा जब वित्त नियंत्रक अपने रुग्ण स्वास्थ्य के कारण अनुपस्थित या किसी अन्य कारण के लिये वित्त नियंत्रक के रूप में अपने कार्य निष्पादन करने के लिये असमर्थ है, तो उसके कार्य इस प्रयोजन के लिये निदेशक के रूप में ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए जाएंगे ।

(4) वित्त नियंत्रक निम्न करेंगे :—

(क) संस्थान के निधि ऊपर सामान्य देखरेख करना और इसकी वित्तीय नीतियों के सम्बन्ध में उसे सलाह देना; तथा

(ख) शासी मण्डल द्वारा उसे सौंपे गए यथा ऐसे अन्य वित्तीय कार्य का निष्पादन करना जो संविधियों या अध्यादेश द्वारा यथा निर्धारित हो,

शर्त यह है कि वित्त नियंत्रक तीन लाख रुपये से अधिक, कोई व्यय या पूंजी निवेश नहीं करेगा या शासी मण्डल द्वारा यथा निर्धारित ऐसी अन्य राशि का कोई व्यय या कोई पूंजी निवेश नहीं करेगा ।

(5) निदेशक तथा शासी मण्डल के नियंत्रक के अधीन वित्त नियंत्रक के अधीन,—

(क) संस्थान के किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यास एवं अचल सम्पत्तियों सहित संस्थान की सम्पत्तियां तथा पूंजी निवेश का धारण और प्रबंधन;

(ख) यह सुनिश्चिय करना कि किसी वर्ष में आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय के लिये वित्त समिति द्वारा नियत सीमा के अधिक नहीं है और जिन उद्देश्यों के लिये धनराशि प्रदान की गई या आबंटित की गई है उन के लिये धनराशि खर्च या व्यय की गई है;

(ग) संस्थान के वार्षिक लेखे तथा बजट की तैयारी के प्रति और वित्त समिति द्वारा विचार किए जाने के उपरांत शासी मण्डल को उन्हें प्रस्तुत करने के प्रति उत्तरदायी होगा;

(घ) बैंक आदि शेष और पूंजी निवेश पर निरन्तर नजर रखना;

(ङ) राजस्व संग्रह करने की प्रगति पर नजर रखना एवं संग्रहण की नियत पद्धतियों पर विचार करना;

(च) संस्थान के राजस्व और समावेशित लागत को बढ़ाने के लिये कदम उठाना;

(छ) संस्थान की वित्तीय नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना और संस्थान के बजट के अनुसार राजस्व एवं व्यय सुनिश्चित करना;

(ज) संस्थान की सम्पत्तियों का रजिस्टर भली भांति रखने को तथा संस्थान के कार्यालयों, विभिन्न विभागों और केन्द्रों में उपकरणों और अन्य सामग्री के स्टाक की जांच समयबद्ध पद्धति में संचालित की गई है इन्हें सुनिश्चित करना;

(झ) किसी अनधिकृत व्यय या किसी अन्य वित्तीय अनियमितता सम्बन्धी निदेशक को जानकारी देना और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही सुझाना;

(ञ) संस्थान के विभिन्न केन्द्रों सहित संस्थान के किसी कार्यालय से कोई सूचना या प्रतिवेदन मांगना जो वह उसके कार्यों के निष्पादन के लिये आवश्यक समझ सकता/सकती है ।

(6) वित्त नियंत्रक द्वारा या शासी मण्डल द्वारा इस सम्बन्ध में विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दी गई कोई प्राप्ति संस्थान को धनराशि के भुगतान के लिये पर्याप्त निक्षेप होगा ।

14. सीनेट विदवद परिषद्.—(1) अधिनियम, संविधियाँ तथा अध्यादेश के सम्बद्ध उपबन्धों के अधीन विदवद परिषद् (सीनेट) अधिनियम द्वारा या संविधियों के अधीन उसे निहित सभी अन्य शक्तियों के अलावा विदवद परिषद् की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(क) संस्थान के निदेशक या संकायाध्यक्ष की अपनी पहल पर या के किसी सन्दर्भ पत्र पर सामान्य अकादमिक हित के विषयों पर विचार करना और इन पर उपयुक्त कार्यवाही करेंगे, तथा

(ख) अनुशासन, प्रवेश, शुल्क और अन्य अकादमिक अपेक्षाओं, सहित संस्थान की अकादमिक कार्यप्रणाली सम्बन्धी संविधियों तथा अध्यादेश के अनुरूप ऐसे विनियम बनाना।

(ग) विद्वद् परिषद् (सीनेट) द्वारा बनाए गए उक्त विनियम शासी मण्डल के अनुमोदन से बनाए जाएंगे ।

15. वित्त समिति.—(1) संस्थान की वित्तीय नीतियां विकसित करने के लिये तथा संस्थान के राजस्व तथा व्यय को देखने के लिये एक वित्त समिति होगी ।

(2) वित्त समिति संस्थान की गतिविधियों के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने सम्बन्धी सिफारिशें करेगी और वित्त समिति की ये सिफारिशें शासी मण्डल के समक्ष निर्णय के लिये प्रस्तुत की जाएंगी ।

(3) वित्त समिति सिफारिशें करेगी : संस्थान की गतिविधियों के प्रचालन सम्बन्धित, कार्यकुशलता सुधारना, संस्थान के अनुमानित राजस्व को साथ-साथ उसकी गतिविधियों की लागत ।

(4) वित्त नियंत्रक वित्त समिति के पदेन सचिव होंगे ।

(5) वित्त नियंत्रक द्वारा तैयार संस्थान के वार्षिक लेखा और बजट शासी मण्डल को प्रस्तुत किए जाने से पूर्व अनुमोदनार्थ वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे ।

16. चयन समितियां.—(1) प्राध्यापक, एसोसिएट प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकों और अन्य शैक्षिक स्टाफ के पदों पर नियुक्ति के लिये निदेशक मण्डल को सिफारिश करने के लिये चयन समिति गठित की जाएगी ।

(2) प्राध्यापक, एसोसिएट प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के निये प्रत्येक चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(i) निदेशक—अध्यक्ष

(ii) शासी मण्डल के अध्यक्ष का एक प्रतिनिधि

(iii) सम्बद्ध संकायाध्यक्ष

(iv) प्रत्येक पद के लिये विद्वद् परिषद् (सीनेट) द्वारा अनुमोदित कम से कम सात नामों वाले पेनल में से शासी मण्डल के अध्यक्ष द्वारा नामांकित किए जाने वाले संस्थान से न जुड़े तीन विशेषज्ञ ।

(v) चयन समिति के चार सदस्य (जिनमें कम से कम दो विशेषज्ञ होंगे) खण्ड (2) के अन्तर्गत समिति की बैठक की गणपूर्ति के लिये होंगे ।

(3) इस संविधि के अन्तर्गत गठित चयन समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं अध्यादेश यथा निर्धारित होंगे ।

(4) यदि किसी चयन समिति द्वारा की गई कोई सिफारिश शासी मण्डल स्वीकार करने में असमर्थ है तो वह सिफारिश नं. स्वीकार करने के कारण अभिलेखबद्ध करेगी और मामला कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा जिसका इस विषय में निर्णय अंतिम होगा ।

17. नियुक्ति की विशेष पद्धति.—(1) संविधि 11 में कुछ भी रहते हुए शासी मण्डल के संस्थान में किसी प्राध्यापक या किसी अन्य शैक्षिक पद स्वीकार करने के लिए उच्च शैक्षिक विशिष्टता और व्यवसायिक दक्षता वाले किसी व्यक्ति को ऐसी शर्तों पर आमंत्रित कर सकते हैं जो वह उचित समझते हैं और ऐसे पद पर व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं ।

(2) शासी मण्डल किसी अन्य संस्थान या संगठन में कार्यरत अकादमिक स्टाफ के किसी सदस्य को अध्यापन कार्य पर या कोई परियोजना या कोई अन्य कार्य प्रारंभ करने के लिये शासी मण्डल द्वारा या निर्धारित शर्तों पर नियुक्त कर सकते हैं ।

18. संस्थान के शिक्षण तथा अन्य अकादमिक स्टाफ के लिये सेवा शर्तें और आचार संहिता.—(1) संस्थान का सारा अकादमिक एवं प्रशासनिक स्टाफ अधिनियम संविधियों तथा अध्यादेशों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों और आचार संहिता द्वारा नियंत्रित होगा ।

(2) अकादमिक एवं प्रशासनिक स्टाफ का प्रत्येक सदस्य एक लिखित संविदा पर नियुक्त होगा ।

(3) खण्ड (2) में संदर्भित प्रत्येक संविदा की एक प्रति कुल सचिव के पास जमा होगी ।

19. संस्थान के कर्मचारियों को हटाना.—(1) यदि, किसी संस्थान के किसी कर्मचारी के विरुद्ध दुराचरण का कोई गंभीर आरोप है तो निदेशक, किसी शिक्षक या अकादमिक स्टाफ के किसी सदस्य की स्थिति में या किसी अन्य कर्मचारी की स्थिति में जैसी भी स्थिति हो नियुक्ति के लिये सक्षम प्राधिकारी (इसके बाद नियुक्ति प्राधिकरण के रूप में सन्दर्भित) लिखित आदेश से ऐसे कर्मचारी को निलम्बित कर सकते हैं और नियुक्ति प्राधिकरण से उक्त स्तर को तत्काल सूचित करेंगे जिन परिस्थितियों में ऐसा निदेश किया गया है । शासी मण्डल के नियुक्ति प्राधिकरण होने की स्थिति में ऐसी जानकारी शासी मण्डल के स्तर पर होगी ।

(2) नियुक्ति की संविदा में कुछ भी रहते हुए और कर्मचारियों की अन्य सेवा शर्तों में नियुक्ति प्राधिकरण को अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में दुराचरण तथा/अथवा भ्रष्टाचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी ।

(3) पूर्वोक्त के बचाव में नियुक्ति प्राधिकरण किसी कर्मचारी को तीन महीने का नोटिस दिये बिना नहीं हटाएंगे और इसके स्थान पर तीन माह का वेतन या दोनों को मिलाकर ।

(4) किसी अध्यापक, अकादमिक स्टाफ के किसी सदस्य या अन्य कर्मचारी को खण्ड (2) या खण्ड (3) के अन्तर्गत तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक उसे की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का यथोचित अवसर न दिया गया हो ।

(5) इस संविधि के पूर्वोक्त उपबन्धों में कुछ भी रहते हुए कोई अध्यापक, शैक्षिक स्टाफ का कोई सदस्य या अन्य कर्मचारी त्यागपत्र दे सकेगा ।

शर्त यह है कि ऐसा त्यागपत्र केवल उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को शासी मण्डल या नियुक्ति प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, त्याग पत्र स्वीकार करें ।

20. बैंक खाते का प्रचालन.—संस्थान का बैंक खाता संस्थान के नाम होगा और शासी मण्डल द्वारा यथा पदनामित तीन अधिकारियों में से किन्हीं दो अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा ।

21. संस्थान के विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाए रखना.—(1) संस्थान के विद्यार्थियों के सम्बन्ध में अनुशासन एवं अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी शक्तियां उस निदेशक के पास होंगी जो वह अपनी सारी या कुछ शक्तियों को ऐसे प्राधिकरण को सौंप सकते हैं जैसा वह उचित समझता/समझती है ।

(2) अनुशासन के रख-रखाव सम्बन्धी अपनी शक्तियों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा अनुशासन बनाए रखने के यथोचित ऐसी कार्यवाही करने के लिये निदेशक अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश से निदेश दे सकते हैं कि छात्रों को किसी संस्थान या उल्लिखित अवधि के लिए किसी संस्थान में अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में प्रवेश न दिया जाए या आदेश में विनिर्दिष्ट किसी राशि के लिए दण्डित किया जाए या उस परीक्षा या उन परीक्षाओं में सम्बद्ध छात्र या छात्रों के परीक्षा परिणाम रोके जा सकेंगे जिसमें उसने या उन्होंने भाग लिया है ।

22. कानूनी कार्यवाहियाँ.—संस्थान निदेशक के नाम या संस्थान के नियमों तथा विनियमों द्वारा यथा निर्धारित ऐसे व्यक्ति के नाम मुकदमा चला सकते हैं या चलवा सकते हैं और ऐसे निर्धारण की चूक में मण्डल द्वारा ऐसा व्यक्ति यथा निर्धारित होगा ।

23. जब तक.—किसी विषय पर विशेष संविधियां/विनियम बनाने के लिये संस्थान सक्षम नहीं है तब तक दिल्ली सरकार के सामान्य विनियम या प्रक्रियाएं लागू होंगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल/कुलाधिपति
आई.आई.आई.टी. दिल्ली के नाम से और आदेश पर,
डॉ. जी. नरेन्द्र कुमार, सचिव

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHINICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 17th July, 2008

No. F. 196/EDCIL/2006/DTTE/Part-III/1048.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 read with Section 22 of the IIIT (Indraprastha Institute of Information Technology)—Delhi Act, 2007 (Delhi Act 5 of 2008), the Government of National Capital Territory of Delhi, after obtaining the prior approval of the Chancellor, hereby, makes the following Statutes of the Indraprastha Institute of Information Technology, Delhi, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These Statutes may be called the IIIT (Indraprastha Institute of Information Technology), Delhi Statutes, 2008.

(2) They shall come into force with effect from 10th July, 2008.

2. Definitions.—In these Statutes, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the IIIT (Indraprastha Institute of Information Technology), Delhi Act, 2008 (Delhi Act 5 of 2008);

(b) "clause" means a clause of the Statutes in which that expression occurs;

(c) "Finance Committee" means the Finance Committee of the Institute;

(d) "section" means a section of the Act;

(e) "Teachers and academic staff" means Professor, Associate Professor, Assistant Professor and other academic staff of the Institute.

(2) Words and expressions used but not defined in these Statutes shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. The Chancellor and Functions.—The Chancellor, by virtue of his office, shall be the Chairman of the General Council.

4. General Council.—(1) Within six months from the close of each financial year, the General Council shall meet on such date as may be decided by the General Council to consider and adopt audited accounts of the institute and annual report on the working of the Institute during the previous year.

(2) The General Council shall meet whenever the Chancellor thinks fit, provided that the Chairman, Board of Governors shall call a meeting of the General Council upon a written request from not less than one-third of the existing members (fraction being rounded off to the next higher number), whichever is more. In addition, the General Council shall meet whenever the Chairman recommends the same for transaction of urgent business.

(3) For every meeting of the General Council at least fourteen days clear notice shall be given to the members, excluding the day of the posting the notice and day of the meeting. However, in the case of any urgency, the Chairman, with the permission of the Chancellor, may call a meeting of the General Council at shorter notice.

(4) One-third of the existing members including the Chancellor shall constitute the quorum at any meeting of the General Council, any fraction being rounded off to the next higher number.

(5) In case, the quorum is not present within thirty minutes of the time notified for the commencement of meeting, the meeting if called on the requisition of the members shall stand dissolved.

(6) The decisions of the General Council shall be by a simple majority of the members present and voting.

(7) Every meeting of the General Council shall be chaired by the Chancellor, and in his absence, by the Chairman, Board of Governors.

(8) Each member of the General Council, who has a votinsg right, shall have one vote and if there be an equality

of votes on any question to be determined by the General Council, the Chairperson of the meeting in addition to his own right as a member shall have and exercise a casting vote to decide the issue.

5. The Board of Governors.—(1) The Board of Governors shall have the overall power of management and administration of the Institute.

(2) The Board of Governors will lay down policies for the functioning of the institute and for the manner of implementation of these policies.

(3) Subject to the povisions of the Act, the Statutes and the Ordinances, the Board of Governors shall, in addition to the other powers vested in it by and under the Act and Statutes, have the following powers, namely :—

(a) to make appointments or to enter into contract with such Professors, Associate Professors, Assistant Professors and such academic staff, as may be necessary, on the recommendations of the selection committee constituted for the purpose;

(b) to make appointments to temporary vacancies of any academic staff;

(c) to specify the manner of appointment to temporary vacancies of the academic staff;

(d) to provide for the appointment of visiting professors, and determine the terms and conditions of such appointment;

(e) to create administrative, ministerial and other necessary posts after taking into account the recommendations of the Finance Committee and to specify the manner of appointment thereto;

(f) to regulate and enforce discipline amongst the employees in accordance with the Statutes and the Ordinances;

(g) to delegate any of its powers to the Director, and on the recommendations of the Director to the Registrars, the Controller of Finance or any other Officer, employee for authority of the Institute or to a Committee appointed by it.

(4) The Board of Governors shall exercise all the powers of the Institute not otherwise provided for by the Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations for the fulfillment of the objects of the Institute.

(5) The Chairman, Board of Governors shall convene or cause to be convened meetings of the General Council, with the approval of the Chancellor.

(6) **Meeting of the Board of Governors**

(a) The Board of Governors shall ordinarily meet once every three months provided that the Chairman or Director, with the permission of the Chairman, may whenever thinks fit, or, on a written requisition of not less than one-third of the existing members of the Board of Governors (fraction being rounded off to next higher number) call for a meeting. Not less than seven days notice shall be given for every meeting of the Board of Governors. In case of urgnecy, the Chairman or the Director, with the permission of the Chairman, may call for a meeting at a shorter notice:

Provided that the interval between the two consecutive meetings of the Board of Governors shall not exceed six moths.

(b) One-third of the existing strength of the Board of Governors or five members, whichever is higher shall constitute a quorum for any meeting of the Board of Governors, any fraction being rounded off to the next higher number.

(c) The decisions of the Board of Governors shall be by a simple majority of the members present and voting.

(d) Each member of the Board of Governors including the Chairman shall have one vote and if there shall be an equality of votes on any question to be determined by the Board of Governors, the Chairperson of the meeting shall in addition to his own vote have and exercise a casting vote to decide the issue.

(e) Every meeting of the Board of Governors shall be chaired by the Chairman, and in his absence, by one of the members chosen from amongst the Board of Governors present at the meeting.

(f) Any resolution may be adpoted by circulation among all its members and any resolution so circulated and adopted by a majority of the member who have signified their approval or disapproval on such resolutions shall be as effective and binding as if such resolution had been passed at a meeting of the Board of Governors.

6. The Director.—(1) The Director shall be a whole-time salaried officer of the Institute.

(2) The Director shall hold office for a term of five years from the date on which he/she enters upon his/her office and shall be eligible for re-appointment for not more than one more term:

Provided that the person appointed as Director shall, on completion of sixty-five years of age during his term of office, cease to hold office.

(3) The emoluments and other conditions of service of the Director shall be as decided by the Board of Governors.

(4) If the office of the Director becomes vacant due to death, resignation or otherwise, or if the Director is unable to perform his duties due to ill health or for any other reason, the senior-most Professors shall perform the duties of the Director.

7. Powers and Functions of Director.—(1) The Director shall be entitled to be present at, and address, any meeting of any other authority or any other body of the

Institute but shall not be entitled to vote thereat unless he is a member of such authority or body.

(2) It shall be the duty of the Director to see that the provisions of the Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are duly observed and he shall have all the powers necessary to ensure such observance.

(3) The Director shall have all the powers necessary for the proper maintenance of discipline in the Institute and he may delegate any such power to such officer or officers as he may deem fit.

(4) The Director shall be empowered to grant leave to any officer of the Institute and make necessary arrangements for the discharge of the functions of such officer during his absence.

(5) The Director shall grant leave of absence to any employee of the Institute in accordance with the rules and, if he so decides, may delegate such power to another officer of the Institute.

(6) The Director shall convene or cause to be convened the meetings of the Board of Governors, the Senate and the Finance Committee.

(7) It shall be the responsibility of the Director to see that all moneys are expended for the purpose for which they are granted or allotted.

(8) He shall be the custodian of the records and such other property of the institute as the Board may commit to his charge.

(9) All expenditure within the budget shall be approved and sanctioned by the Director, or a member of the staff to whom he may delegate this power with the approval of the Board of Governors, provided that such exdpenditure does not exceed the limits specified by the Ordinances, if any. The Director shall also have the power to make re-appropriation with the approval of the Finance Committee :

Provided that re-appropriation to augment the provisions under the head Salaries and Allowances, shall require the prior approval of the Board of Governors.

(10) The Director shall submit the accounts, the budget estimates and other proposals of the Institute to the Board for its consideration.

(11) The Director shall conduct all official correspondence on behalf of the Institute and the Board.

(12) The Director may convene meetings of the Board with the approval of the Chairman.

(13) The Director shall be responsible for implementation of the resolutions passed by the Board.

(14) The Director may assign tasks to the staff members of the Institute, manage the undertaking of these tasks and exercise overall control, including disciplinary control on staff members.

(15) The director may appoint committees or sub-committees by whatever name called, of members of the staff to manage such activities as he may deem fit and/or otherwise authorize any officer of the Institute to appoint such committees.

(16) The Director shall participate or nominate members of staff to participate in national conferences and in international conferences in the areas of interest to the Institute.

(17) The Director shall execute all contracts, deeds and assurances of property made on behalf of the Institute after obtaining the approval of the Board.

(18) The Director shall draw, make, accept, and endorse cheques, notes or other negotiable instruments for the purpose of the Institute in terms of delegation by the Board.

(19) The Director may re-delegate some of his powers to any of his subordinates, with the prior approval of the Board.

(20) The Director may exercise such other powers as may be assigned to him by the Statutes and Ordinances.

8. The Deans.—(1) There shall be Deans to deal with academics, research, consultancy and to deal with such other aspects as the Board of Governors deems it necessary.

(2) Every Dean shall be appointed by the Board of Governors on the advise of the Director, from among the professors of the Institute for a period of three years and she/he shall be eligible for re-appointment :

Provided that a Dean on attaining the age of sixty-five years shall cease to hold office :

Provided further that if at any time, there is no professor in a department, the Director, or a Dean authorized by the Director in this behalf, shall exercise the powers of the Dean.

(3) When the office of the Dean is vacant or where the Dean is by reason of illness, absence or for any other cause is unable to perform the duties of his office, the duties of his office shall be performed by the senior most Professor of that branch.

(4) The Dean will be the head of the functional cluster assigned to her/him and shall be responsible for the conduct and maintenance of the standards of work in the function assigned to her/him.

(5) The Dean shall perform such other functions as may be prescribed by the Board of Governors.

9. The Registrars.—(1) The Board of Governors shall constitute a selection committee for the appointment of Registrars.

(2) Every Registrar shall be appointed by the Board of Governors on the recommendation of the selection committee constituted under clause (1) and she/he shall be a whole-time salaried officer of the Institute.

(3) The emoluments and other conditions of service of a Registrar shall be such as prescribed by the Ordinances :

Provided that a Registrar shall retire on attaining the age of sixty years.

(4) A Registrar designated specially in this behalf by the Board of Governors shall have the power to take disciplinary action against such of the employees, excluding teachers, as may be specified by the Board of Governors by general or special order made in this behalf.

(5) An appeal against any order made by the Registrar in pursuance of clause (4) shall lie to the Director.

(6) In case, an inquiry discloses that a punishment beyond the powers of the Registrar is called for, the Registrar shall, consequent to the inquiry, make a report to the Director aling with his recommendations for such action as the Director may deem fit :

Provided that in such a case an appeal against an order of the Director imposing any penalty on an employee shall lie to the Board of Governors.

(7) The Board of Governors shall designate a Registrar to act in one or more of the following capacities, under the administrative control of the Director, namely :—

(i) Secretary to the General Council;

(ii) Secretary to the Board of Governors;

(iii) Secretary to the Senate.

(8) A Registrar so designated shall, in relation to the authority concerned,

(a) be the custodian of the records, the common seal and such other properties of the Institute as the Board of Governors may commit to his charge;

(b) issue notices and convene meetings of that authority and the committees appointed by it;

(c) keep the minutes of the meetings of that authority and the committees appointed by it;

(d) conduct the official proceedings and correspondence; and

(e) supply to the Chancellor a copy each of the agenda of the meetings of the authorities of the Institute as soon as it issued and the minutes of such meetings.

(9) Any Registrar may be designated by the Board of Governors to represent the Institute in suits or proceedings, by or against the Institute, verify pleadings and depute his representative for the purpose.

(10) The Registrar shall perform such other functions as may be specified in the Statutes, Ordinances or Regulations or as may be required from time to time by the Board of Governors.

10. Funds of the Institute.—(1) The Institute shall have its own fund consisting of —

(i) all moneys provided by the Government;

(ii) all fees and other charges received by the Institute;

(iii) all moneys received by the Institute by way of grants, loans, gifts, donations, benefactions, bequests or transfers;

(iv) all moneys received by the Institute from the Schools sponsored by Corporations as per the provisions of the agreements with the Corporations or otherwise;

(v) corpus created through funds from the Government, surplus of funds available with the institute, surpluses from sponsored research projects or consultancy assignments, funds generated from commercialization of intellectual property generated by the institute, grants, donations, gifts, etc.;

(vi) all moneys received from sponsors of research or consulting projects entrusted to the institute;

(vii) all moneys received from faculty members or employers by way of services provided by them to other organizations and as per the pattern evolved by the Board of Governors;

(viii) all moneys received by the Institute in any other manner or from any other source;

(ix) Rent, interest, dividend or any other income received upon the investment of the funds of the Institute.

(2) All moneys credited to the Fund shall be invested in accordance with the provisions of Section 11(5) of Income Tax Act, 1961 as the council may deem expedient from time to time in the interest of the Institute.

(3) The funds and the property of the Institute howsoever derived, shall be applied only towards the attainment of the objectives of the institute as laid down by the Government.

11. Accounts and audit.—(1) The Director shall keep or cause to be kept proper accounts of the receipts and payments, income and expenditure and of the property, assets and liabilities of the Institute. The Annual Accounts shall be made up by the end of the financial year.

(2) The Accounts of the Institute shall be audited by an auditor who shall be a Chartered Accountant or a firm of Chartered Accountants as defined in the Chartered Accountants Act, 1949 and shall be appointed by the Board of Governors.

(3) Statement of Accounts audited by the Chartered Accountant shall be sent to the Comptroller and Auditor General of India for their views and the audited accounts along with the views of the Comptroller and Auditor General of India shall be placed before the Legislative Assembly of Delhi through the Government.

12. Other Officers.—(1) The Board of Governors shall constitute a selection committee for the appointment of the other Officers.

13. Controller of Finance.—(1) The Controller of Finance shall be appointed by the Board of Governors on the recommendations of the selection committee constituted under clause 12(1) and she/he shall be a whole-time salaried officer of the Institute and shall work under the control of the Director.

2715 DG/08-4

(2) The emoluments and other conditions of service of the Controller of Finance shall be prescribed by the Board of Governors :

Provided that the Controller of Finance shall retire on attaining the age of sixty years.

(3) In case, the office of the controller of Finance is vacant or when the Controller of Finance is, by reason of ill health, absence or for any other cause, unable to perform his functions as the Controller of Finance, his functions shall be performed by such person as the Director may appoint for the purpose.

(4) The Controller of Finance shall —

(a) exercise general supervision over the funds of the Institute and advise it as regards its financial policies; and

(b) perform such other financial functions as may be assigned to her/him by the Board of Governors or as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances :

Provided that the Controller of Finance shall not incur any expenditure or make any investment exceeding three lakh rupees or such other amount as may be fixed by the Board of Governors.

(5) Subject to the control of the Director and the Board of Governors, the Controller of Finance shall —

(a) hold and manage the properties and investments of the Institute, including trust and immovable properties, for fulfilling any of the objects of the Institute;

(b) ensure that the limits fixed by the Finance Committee for recurring and non-recurring expenditure for a year are not exceeded and the money is expended or spent for the purposes for which it was granted or allotted;

(c) be responsible for the preparation of the annual accounts and the budget of the Institute and for their presentation to the Board of Governors after they have been considered by the Finance Committee;

(d) keep a constant watch on the cash and bank balances and investments;

(e) watch the progress of collection of revenues and advise on the methods of collection employed;

(f) suggest steps for enhancing the revenues and containing the costs of the institute;

(g) effectively implement the financial policies of the institute and to ensure that revenues and expenditure are in accordance with the budget of the institute;

(h) ensure that the registers of properties of the Institute are maintained properly and that stock checking of the equipment and other material in the offices, different departments and Centres of the Institute is conducted in a time-bound manner;

(i) bring to the notice of the Director any unauthorized expenditure or any other financial irregularity and suggest appropriate action against the person at fault; and

(j) call from any office of the Institute, including different centers of the Institute, any information or report that she/he may consider necessary for the performance of her/his functions.

(6) Any receipt given by the Controller of Finance or by the person or persons duly authorized in this behalf by the Board of Governors shall be a sufficient discharge for payment of moneys to the Institute.

14. The Senate.—(1) Subject to the relevant provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances, the Senate shall, in addition to all other powers vested in it by the Act or under the Statutes, have the Following powers, namely :—

(a) To consider matters of general academic interest either on its own initiative or on a reference from the Director or Deans of the Institute and shall take appropriate action thereon; and

(b) To frame such regulations as are consistent with the Statutes and the Ordinances regarding the academic functioning of the Institute, including discipline, admissions, fees and other academic requirements.

(c) The above regulations framed by the Senate will take effect after approval of the Board of Governors.

15. The Finance Committee.—(1) There shall be a Finance Committee to develop financial policies of the institute and to oversee the revenues and expenditures of the institute.

(2) The Finance Committee shall make recommendations on generating revenues through the institute's activities and these recommendations of the Finance Committee shall be placed before the Board of Governors for a decision.

(3) The Finance Committee shall make recommendations on improving the operational efficiency of the institute's activities, synchronizing the costs of the institute's activities with its projected revenues, and on major expenditure proposals of the institute, as may be required by the Board of Governors.

(4) The Controller of Finance shall be the ex-officio Secretary of the Finance Committee.

(5) The annual accounts and the budget of the Institute prepared by the Controller of Finance shall be placed before the Finance Committee for approval before being submitted to the Board of Governors.

16. Selection Committees.—(1) Selection Committees shall be constituted for making recommendations to the Board of Governors for appointment to the posts of Professors, Associate Professors, Assistant Professors and other academic staff.

(2) Each of the selection committees for appointment to the posts of Professors, Associate Professors and Assistant Professors shall consist of the following members, namely :—

(i) The Director—Chairman

(ii) A nominee of the Chairman Board of Governors

(iii) Concerned Dean

(iv) Three experts not connected with the Institute to be nominated by the Chairman Board of Governors from a panel of not less than seven names approved by the Senate for each post.

(v) Four members of the selection committee (who shall include at least two experts) shall form a quorum for a meeting of the selection committee constituted under clause (2).

(3) The procedures to be followed by the selection committees constituted under this statute shall, in making recommendations, be such as laid down in the Ordinances.

(4) If the Board of Governors is unable to accept a recommendation made by a selection committee, it shall record the reasons for not accepting the recommendation and submit the case to the Chancellor whose decision in the matter shall be final.

17. Special Mode of Appointment.—(1) Notwithstanding anything contained in Statute 11, the Board of Governors may invite a person of high academic distinction and professional attainment to accept the post of a professor or any other academic post in the Institute on such terms and conditions as it may deem fit, and appoint the person to such post.

(2) The Board of Governors may appoint any member of the academic staff working in any other Institute or organization on a teaching assignment or for taking up a project or any other work on such terms and conditions as may be determined by the Board of Governors.

18. Terms and Conditions of service and code of ethics for the teachers and other academic staff of the Institute.—(1) All the academic and administrative staff of the Institute shall be governed by the terms and conditions of service and code of ethics as are specified by the act, Statutes and the Ordinances.

(2) Every member of the academic and administrative staff shall be appointed on a written contract.

(3) A copy of every contract referred to in clause (2) shall be deposited with the Registrar.

19. Removal of employees of the Institute.—(1) In case, there is an allegation of serious misconduct against an employee of the Institute, the Director may, in the case of a teacher or a member of the academic staff, or the authority competent to appoint (hereinafter referred to as appointing authority) in the case of any other employee, as the case may be, by order in writing, place such employee under suspension and shall forthwith report to the level above the appointing authority the circumstances in which the order was made. In the event that the Board of Governors is the appointing authority, such information shall rest at the level of the Board of Governors.

(2) Notwithstanding anything contained in the terms of the contract of appointment or in other terms of conditions of service of the employees, the appointing authority, in respect of other employees, shall have the power to remove on grounds of misconduct, and/or malfeasance.

(3) Save as aforesaid, the appointing authority, shall not remove any employee without giving her/him three months notice to him and in lieu thereof pay three month's salary or a combination of the two.

(4) No teacher, member of the academic staff or other employee shall be removed under clause (2) or clause (3) unless he has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Statute, a teacher, a member of the academic staff or other employee may resign from the Institute :

Provided that such resignation shall take effect only from the date on which the Board of Governors, or the appointing authority accepts the resignation, as the case may be.

20. Operation of Bank Account.—The bank accounts of the Institute shall be kept in the name of the Institute and shall be operated upon jointly by any two of three officers as may be designated by the Board of Governors.

21. Maintenance of discipline amongst the students of the Institute.—(1) The powers regarding discipline and disciplinary action in regard to the students of the Institute shall vest in the Director who may delegate all or any of his powers, to such authority as she/he may deem fit.

(2) Without prejudice to the generality of her/his powers relating to the maintenance of discipline and taking such action as she/he may deem appropriate for the maintenance of discipline, the Director may, in exercise of his powers, by order, direct that students be not admitted to a course or courses of study in the Institute or an institution for a stated period, or be punished with a fine for an amount to be specified in the order, or that the result of the student or students concerned in the examination or examinations, in which he has or they have appeared, to be withheld.

22. Legal Proceedings.— The Institute may sue or be sued in the name of the Director or such person as shall be determined by the rules and regulations of the Institute and in default of such determination, such person as shall be determined by the Board.

23. Other Provisions.—Until the Institute is able to make specific Statutes/Ordinances/Regulations on a subject, general regulations or procedures of the Govt. of NCT Delhi will apply.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
Dr. G. NARENDRA KUMAR, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.